

**फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील (ब्लैक) हैचरी फेब्रिकेटर्स के सूचीकरण के लिए
इच्छा की अभिव्यक्ति की सूचना"**

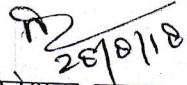
झारखण्ड राज्य में फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील (ब्लैक) हैचरी निर्माण कराया जाना है। इसके मुख्य कॉम्पोनेन्ट ब्रीडिंग पूल, हैचिंग पूल, वाटर टैंक, शेल्टर हाउस एवं डीप बोरिंग है। उक्त पोर्टेबल हैचरी के दक्ष एवं अनुभवी निर्माताओं (फर्म/ फ़ैब्रिकेटर्स/संवेदकों) का सूचीकरण किया जाना है।

ऐसे फर्म/संवेदक जो फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील (ब्लैक) हैचरी का निर्माण तथा अधिष्ठापन करते हों तथा राज्य में इस हेतु सूचीबद्ध होना चाहते हों से "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जाती है। संबंधित फर्म/फ़ैब्रिकेटर्स/संवेदक निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची- 834002 के नाम से आवेदन दे सकते हैं। सफल फर्म/फ़ैब्रिकेटर्स/संवेदक को मत्स्य निदेशालय में सूचीबद्ध किया जाएगा।

फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील (ब्लैक) हैचरी निर्माण हेतु सूचीबद्ध किये जाने हेतु मत्स्य निदेशालय में दिनांक 12.09.2018 के 3.00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निदेशालय स्तरीय गठित क्रय समिति की बैठक में खोले जाएंगे।

आवेदनकर्ता को सीलबंद लिफाफे में अपने फर्म /संवेदक कार्य का ब्यौरा देना होगा। जिन बिन्दुओं पर आवेदनकर्ताओं से सूचनाओं की अपेक्षा है उनकी सूची मत्स्य निदेशालय के सूचनापट्ट अथवा वेबसाइट jharkhandfisheries.org पर देखी जा सकती है। क्रय समिति द्वारा अनुशंसित आवेदकों/फर्म का ही सूचीकरण किया जाएगा।

क्रयसमिति द्वारा अनुशंसा को कार्य का आवंटन नहीं माना जायेगा।


निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

मत्स्य बीज का उत्पादन, स्वरोजगार का अच्छा साधन

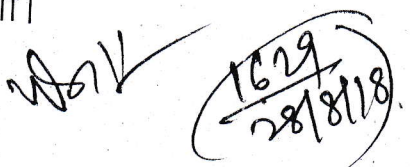
1629
28/8/18

फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी (ब्लैक) निर्माण हेतु सूचीबद्ध किये जाने हेतु शर्तें
क). फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील हैचरी (ब्लैक) निर्माण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु
वांछित प्रमाणपत्र :-

1. आवेदनकर्ता को मार्च-2018 का जी0एस0टी0 रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को पोर्टेबल हैचरी का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत (2016/2017) का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता को MESE प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. फर्म का वार्षिक टर्नओवर 2.00 करोड़ (दो करोड़) रु0 का होना अनिवार्य होगा जिससे संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्वघोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करना होगा (स्वघोषणा पत्र संलग्न करें) ।

ख). फेब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील (Black Sheet) हैचरी निर्माण हेतु अन्य शर्तें :-

1. मुहरबंद लिफाफा के उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम पता मोबाईल नं0 के साथ साफ-साफ अंकित होना चाहिए ।
2. इस इच्छा की अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकृत्यादेश सं0 21 रा0 (विभाग) दिनांक 17.07.2018 के आलोक में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य हेतु सूचीबद्ध किया जा रहा है ।
3. हैचरी निर्माण कार्य लाभुक द्वारा कराया जाएगा । संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्य की प्रगति को देखकर संतुष्ट होने के पश्चात् राशि की निकासी कर लाभुक के खाते में हस्तांतरित करेंगे एवं संवेदक को भुगतान किये जाने हेतु पत्र निर्गत करेंगे । संवेदक को राशि का भुगतान लाभुक से प्राप्त करना होगा । इस आशय का एकरारनामा संवेदक, लाभुक एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच करना होगा ।
4. लाभुक एवं संवेदक के बीच राशि लेनदेन की जवाबदेही मत्स्य निदेशालय एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की नहीं होगी ।
5. हैचरी मद में आवंटित राशि वाले जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सूचीबद्ध आवेदनकर्ताओं में हैचरी बनाये जाने हेतु वित्तीय बीड आमंत्रित किया जाएगा । आवेदनकर्ता को अग्रधन की राशि मो0 1.00 लाख (एक लाख) रु0 मात्र संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में NSC के माध्यम से जमा करना होगा । सभी NSC जिला मत्स्य पदाधिकारी के नाम से Pledged होंगे । सफल आवेदनकर्ता के अग्रधन की राशि को रखते हुए असफल आवेदनकर्ता की राशि को अगले कार्यदिवस को लौटा दी जाएगी ।
6. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता के माध्यम से सूचीबद्ध आवेदनकर्ताओं के बीच L1 तय करते हुए कार्य के आधार पर मापी पुस्तिका अंकित कराना होगा । तदुपरान्त कार्यान्वयन राशि भुगतान की जाएगी ।
7. यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से कार्य लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा ।

 1629
28/8/18



8. चूँकि हैचरी निर्माण में लाभुक का अंशदान नहीं होगा इसलिए यह परिसम्पत्ति सरकार की होगी। लाभुक को मात्र संचालन की जिम्मेवारी होगी।
9. आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित हैचरी का मेनटेनेंस अगले दो वर्ष तक करना होगा तत्पश्चात् अग्रधन की राशि बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लौटा दी जाएगी।
10. हैचरी की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
11. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले इच्छा की अभिव्यक्ति/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
13. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
14. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
15. इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

28/8/18

1629
28/8/18

28/8/18
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची